# न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

अध्यक्षता – *ललित कुमार गुप्ता,* आई.ए.एस

*राजस्व द्वितीय अपील संख्या 341/2017*

| अपीलान्टस | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| 1. मुकनाराम पुत्र स्व. श्री सरूपाराम जाति माली निवासी वाडीया, तकीया के पास, तहसील व जिला जालोर । | | 1. सदणी पुत्री स्व श्री सरूपाराम पत्नी श्री मोहनलाल जाति माली निवासी गोडीजी, तहसील व जिला जालोर।<br>2. लखमाराम पुत्र स्वत्र श्री सरूपाराम जाति मालीनिवासी बेरा सिदोरिया लाल भाखरी के पास तहसील व जिला जालोर। |

**अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश** दिनांक 31.5.2017 न्यायालय अतरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर अनवान सदणी बनाम लखमाराम मे अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1709 निरस्त कर दिया

**उपस्थितिः–**

1. श्री अमित मेहता अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री नरेन्द राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट सख्यां 2 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित है ।

## निर्णय

दिनांकः– 24.12.2018

प्रस्तुत राजस्व अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पिता स्व. सरूपाराम की खातेदारी की भूमि मौजा जालोर–ए के गत खसरा संख्या 1030,1032,1033, 1031, 1034 थी, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 158, 159,160,161, कृषि भूमि आई हुई है। सरूपाराम के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1709 दिनांक 31.5.2012 जो कि केवल मुकनाराम, लखमाराम पुत्र सरूपाराम एवं गंगा देवी पत्नि सरूपाराम के नाम स्वीकृत किया गया जबकि अपीलान्ट सदणी भी स्व. सरूपाराम की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना ही अपने निर्णय दिनांक 31.5.2017 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1709 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, जालोर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

हमने उपस्थित अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के अधिवक्ताओ की बहस सुनी । अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट को नामान्तरकरण संख्या 1709 की जानकारी शुरू से ही थी तथा अपीलान्ट की रजामन्दी से उक्त नामान्तरकरण संख्या 1709 स्वीकृत करवाया तथा इस प्रकार जानकारी से अपील म्याद बाहर थी, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने म्याद के बिन्दू को निर्णित किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। बिना धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये पारित किया गया अपीलाधीन आदेश कानूनन गलत होने निरस्त फरमाया जावे।

यह है कि म्यूटेशन एक फिसकल प्रोसेडिंग है तथा प्रोसेडिंग मे किसी भी व्यक्ति के हक व अधिकार सुनिश्चित नही किये जा सकते है और ना ही पक्षकारों के अधिकारों की घोषण की जा सकती है। यदि रेस्पोडेन्ट को उक्त अराजी मे कोई हक व अधिकार होता तो वह घोषणा के वाद मे आदेश प्राप्त करती। 4–5 साल बाद फिसकल प्रोसेडिंग के जरिए अधिकारी प्राप्त नही किये जा सकते है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.5.2017 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 1709 को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील म्याद बाहर अवश्य थी, जिसका मुख्य कारण था कि तहसीलदार द्वारा स्व. सरूपाराम के समस्त विधिक वारिसान की जांच किए बिना एवं सुनवाई का नोटिस दिये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 1709 स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उक्त तथ्यों के आधार पर मामला मेरिट पर प्रबल होने के कारण धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे कोई विधिक भूल नही की है। अपीलान्ट के अधिवक्ता का कथन है कि म्याद के बिन्दु को निर्णित किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। बिना धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये, पारित किया गया आदेश कानूनन गलत होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट के अधिवक्ता का उक्त कथन गलत है कि धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णित नही किया गया। अपीलाधीन आदेश के पैरा संख्या 2 मे स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि धारा 5 के प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नही किया है। अतः अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है, जिसे यथावत रखा जावे।

यह है कि जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है यह निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्टस मृतक सरूपाराम की विधिक वारिसान है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की प्रथम श्रेणी मे वर्णित सूची के अनुसार वारिस है। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1709 स्वीकृत करने से पूर्व स्व. सरूपाराम के समस्त विधिक वारिसान की जांच किए बिना एवं सुनवाई का नोटिस दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया। तहसीलदार द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का अवलोकन किये बिना केवल मृतक सरूपाराम की पत्नी एवं दो लडकों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जो कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रावधान व नियम के पारित किये गये नामान्तरकरण निरस्त करने मे कोई कानूनी भूल नही की है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.5.2017 की पालना भी तहसीलदार द्वारा की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमलदराम कर दिया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट की अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं के द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता का कथन है कि म्याद के बिन्दु को निर्णित किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। बिना धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये, पारित किया गया आदेश कानूनन गलत होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट के अधिवक्ता का उक्त कथन सही नही है कि धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णित नही किया गया। अपीलाधीन आदेश के पैरा संख्या 2 मे स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि धारा 5 के प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नही किया है, अतः अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एवं धारा 5 के प्रार्थना को निर्णित करने मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही प्रतीत होती है।,

यह बिन्दु निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट मृतक सरूपाराम की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस है, उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1709 स्वीकृत करने से पूर्व स्व. सरूपाराम के समस्त विधिक वारिसान की जांच किए बिना एवं सुनवाई का नोटिस दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। तहसीलदार द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का अवलोकन किये बिना केवल मृतक सरूपाराम की

पत्नी एवं दो लडकों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जो कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती हैं तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.5.2017 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 24.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर